[2009] 4 एस. सी. आर 112

समीरा खानम

बनाम

मो. अफसार तौहीद एवं एक अन्य

2009 की दांडिक अपील संख्या 450

6 मार्च, 2009

[डॉ.अरिजीत पसायत और अशोक कुमार गांगुली, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - शिकायत धारा 498- क और 406 भारतीय दंड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए आवेदन - उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत अपील पर, अभिनिर्धारितः उच्च न्यायालय का आदेश बिना किसी आधार या कारण बताए पारित किया गया था इस प्रावधान के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए - वाद को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा गया - दंड संहिता, 1860 - धारा 498- क और 406 - दहेज निषेध अधिनियम, 1961 - धारा 3 और 4।

अपीलकर्ता ने धारा 498- क और 406 भारतीय दंड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत शिकायत दर्ज की। उत्तरदाताओं को तलब करने के निर्देश दिए गए। उत्तरदाता संख्या 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन दायर किया और उसे स्वीकार कर लिया गया। अतः यह अपील दायर की गई है।

अपील स्वीकार करते हुए और वाद को उच्च न्यायालय को वापस भेजते हुए,

न्यायालय ने निर्णय दिया: उच्च न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का कोई आधार या कारण नहीं बताया है। आवेदन का निपटारा लापरवाही से किया गया था। अत: उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से अनुचित है और तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है।

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजनलाल और अन्य, 1992 अनुपूरक (1) एससीसी 335 - संदर्भित।

नज़ीर संदर्भ

1992 अनुपूरक (1) एससीसी 335	संदर्भित	कंडिका 4

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2009 का दांडिक अपील संख्या 450

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 28.08.2006 के निर्णय एवं आदेश से 2005 के दांडिक विविध आवेदन संख्या 32326 में।

अपीलकर्ता के लिए, एजाज़ मकबूल।

उत्तरदाताओं के लिए, अल्ताफ अहमद, टी.ए. खान, गौरव अग्रवाल, गोपाल सिंह, मनीष कुमार।

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 482 के

तहत दायर आवेदन को स्वीकार किया गया था। उत्तरदाता संख्या 1 ने पटना के विद्वान अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2004 को पारित आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की थी, जिसमें परिवाद वाद संख्या 2523 (सी)/2004 में उत्तरदाता संख्या 1 और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भारतीय दंड संहिता') की धारा 498-कऔर 406 तथा दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'दहेज निषेध अधिनियम') की धारा 3 और 4 के तहत कथित अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने हेतु समन जारी करने का निर्देश दिया गया था।

3. संक्षेप में तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है:

शिकायतकर्ता (विपक्षी संख्या 2) का वाद यह है कि उसका विवाह उत्तरदाता संख्या 1 से 24.10.1999 को पटना में मुस्लिम कानून के अनुसार हुआ था। अन्य दो आरोपी उसके पिता और माता हैं। विवाह के बाद, उसी दिन वह अपने ससुराल गई। विवाह के समय कई वस्तुएं, आभूषण, नकद आदि मिलाकर 5 लाख रुपये उपहार के रूप में दिए गए थे। उत्तरदाता संख्या 1 और उसके माता-पिता इससे खुश नहीं थे और अधिक दहेज चाहते थे। उत्तरदाता संख्या 1 के माता-पिता ने कम दहेज के लिए उसका मजाक उड़ाया। शादी के 15 दिन बाद, उत्तरदाता संख्या 1 अमेरिका चला गया, जहां वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था। इसी बीच, शिकायतकर्ता 9 नवंबर 1999 को अपने मायके लौट आई क्योंकि उत्तरदाता संख्या 1 के माता-पिता ने अपने दुर्व्यवहार और क्रूर रवैये से उसे वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद उत्तरदाता संख्या 1 ने शिकायतकर्ता को वीजा भेजा और वह 18 अप्रैल 2000 को अमेरिका चली गई। वहाँ उसने पाया कि उसका पति "डॉली" नाम की एक अमेरिकी लड़की के साथ अवैध संबंध बना रहा है। उसने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। उत्तरदाता संख्या 1 ने उससे कहा कि अमेरिका में गर्लफ्रेंड रखना स्टेटस सिंबल है और यह कहकर उसका मनोबल

गिराया कि वह एक रूढ़िवादी और पिछड़े परिवार से है। शिकायतकर्ता किसी तरह वहाँ लगभग एक वर्ष तक रहीं और 19.8.2001 को उत्तरदाता संख्या 1 के साथ भारत लौट आईं। पटना में रहने के दौरान उनके माता-पिता ने पति को सौहार्दपूर्ण वैवाहिक जीवन के लिए किसी अन्य महिला के साथ ऐसे संबंध से दूर रहने के लिए समझाने का प्रयास किया। उन्होंने खुद को सुधारने का वादा किया। दोनों पटना में पाँच सप्ताह रहने के बाद फिर से अमेरिका चले गए। इस दौरान सभी आरोपियों ने शिकायतकर्ता से अपने माता-पिता से 12 लाख रुपये लाने को कहा, ताकि शिकायतकर्ता के नाम पर एक फ्लैट खरीदा जा सके। शिकायतकर्ता के पिता ने 19.9.2001 को 7 लाख रुपये देने का वादा किया था, बशर्ते फ्लैट शिकायतकर्ता के नाम पर खरीदा जाए। बाद में, उसके पिता ने स्नेहवश 7 लाख रुपये उत्तरदाता संख्या 1 के पिता के माता-पिता को विभिन्न किस्तों में दिए। इसके बावजूद, सभी आरोपी अतिरिक्त 5 लाख रुपये की मांग पर अड़े रहे और उस राशि का भुगतान न करने पर, आरोपियों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि अमेरिका जाने के बाद, उत्तरदाता संख्या 1 ने अपने वादे के बावजूद, उपरोक्त लड़की के साथ अपने रिश्ते को फिर से स्थापित करने की कोशिश की, और पत्नी के विरोध करने पर, उसने उस पर हमला किया। उसे शराब पीने और क्लबों में समय बर्बाद करने की आदत पड़ गई थी, और आपत्ति जताने पर, उसके साथ क्रूरता की गई। बहुआयामी तनाव के परिणामस्वरूप, 13.5.2003 को उसका गर्भपात हो गया। उसे अमेरिका में रहने वाले अपने किसी भी रिश्तेदार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई।

इसके बाद उत्तरदाता संख्या 1 ने शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उसे भारत लाया। 30.8.2003 को, उत्तरदाता संख्या 1 भारत पहुँचने के बाद हैदराबाद गया और शिकायतकर्ता से पटना स्थित उसके मायके जाने को कहा। इस दौरान वह पटना नहीं आया। इसलिए

शिकायतकर्ता स्वयं हैदराबाद चली गई और उस पर हुए अत्याचारों के बावजूद, वह उत्तरदाता संख्या 1 के साथ 14.9.2003 को अमेरिका लौट गई, जहां उसने उस पर अत्याचार जारी रखा और 22.3.2004 को उसे जबरन भारत भेज दिया गया और तब से वह पटना में रह रही है। यह भी आरोप है कि जब वह भारत लौटी, तो उत्तरदाता संख्या 1 ने उसे ईमेल भेजकर कहा कि वह उसकी अनुमति के बिना अमेरिका वापस न जाए और उसे वापसी टिकट रद्द करने का निर्देश भी दिया। शिकायतकर्ता ने 2.7.2004 को ईमेल के माध्यम से उत्तरदाता संख्या 1 से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने अचानक जवाब दिया कि जब तक उसके माता-पिता की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, सहानुभूति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 10.9.2004 को उसने अपने पिता से अगले महीने तक अपने माता-पिता को 5 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा और उसी दिन उसके पिता ने उत्तरदाता संख्या 1 के माता-पिता से बात की और अपनी असमर्थता व्यक्त की।

शिकायत याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि अमेरिका में रहने के दौरान, उत्तरदाता संख्या 1 ने कई मौकों पर उस पर दबाव डाला कि वह वहां रहने वाली फूफी और फूफा से कम से कम 50,000 अमेरिकी डॉलर इकट्ठा करे। उसके इनकार करने पर, उत्तरदाता संख्या 1 ने खुद फोन पर फूफा को 50,000 डॉलर भेजने के लिए कहा, अन्यथा शिकायतकर्ता मुसीबत में पड़ जाएगी।

शिकायत दर्ज करने के बाद, शिकायतकर्ता से प्रत्यक्ष बयान के आधार पर पूछताछ की गई। उसने संहिता की धारा 202 के तहत जांच में साक्षियों से भी पूछताछ की। विद्वान अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ने शिकायत याचिका, शिकायतकर्ता के प्रत्यक्ष बयान और शिकायतकर्ता द्वारा पूछताछ किए गए साक्षियों के बयान का अवलोकन करने के बाद, वह आदेश पारित किया जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से यह तर्क दिया गया कि आरोप झूठे थे। यह कहा गया कि उत्तरदाता ने शिकायतकर्ता को 12.9.2004 को तलाक दे दिया था, इसलिए यह मामला दुर्भावनापूर्ण इरादे से जवाबी कार्रवाई के रूप में दायर किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा अमेरिका में शिकायतकर्ता पर किए गए कथित अत्याचार, यदि सच भी मान लिए जाएं, तो भी यह एक अमेरिकी लड़की के साथ कथित संबंध से संबंधित था और इसका दहेज की राशि से कोई लेना-देना नहीं था। कुछ अन्य तथ्यात्मक पहलुओं को यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत किया गया कि धारा 498 क भारतीय दंड संहिता के तत्व सिद्ध नहीं होते हैं और धारा 406 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय विश्वासघात का कोई आरोप नहीं है। उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन का निपटारा उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की तर्कों पर विचार करने के बाद इस प्रकार किया:

> विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आदेश का बचाव किया। मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की तर्क में दम लगता है और उनके द्वारा बताए गए कारणों के आधार पर मैं भी पाता हूँ कि याचिकाकर्ता द्वारा दहेज की कथित मांग या प्राप्ति झूठी और दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को तलाक दे दिया है। याचिकाकर्ता द्वारा कथित यातना 15 लाख रुपये की गैरकानूनी मांग से संबंधित नहीं थी और न ही ऐसी थी जिससे विपक्षी संख्या 2 को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा सके। याचिकाकर्ता के खिलाफ विश्वासघात का कोई आरोप नहीं है।
>
> इसलिए, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता के संबंध में आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आदेश व्यावहारिक रूप से तर्कहीन है और यह नहीं बताया गया है कि उत्तरदाता की प्रार्थना क्यों स्वीकार की गई और धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा गया है, जैसा कि हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजनलाल और अन्य (1992 अनुपूरक (1) धारा 335) में कहा गया है।

5. उत्तरदाता संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की तर्क में हमें सार मिलता है कि उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का कोई आधार या कारण नहीं बताया है। आवेदन का निपटारा लापरवाही से किया गया।

7. इसलिए, उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से अनुचित है और तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने वाद की योग्यताओं पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, जिन पर निर्णय लिया जाना है। वाद को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

8. अपील स्वीकार की जाती है।

के.के.टी. अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।